रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2013/आषाढ़ 6, 1935

No. 177] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2013/ASADHA 6, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2013

फा. सं. पी. 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई.- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप विनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 5 दिसंबर, 2012 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) की अधिसूचना सं. पी. 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 29 नवबंर, 2012 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक जनता से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 5 दिसंबर, 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, "वसा तेल और वसा मिश्रण" से संबंधित विनियम 2.2 में,-

(क) "अंतः एस्टरित वनस्पति वसा" से संबंधित उप विनियम 2.2.2 में- (i) "आवश्यक रूप से उदासीन खाद्य तेल या वसा, एकल या मिश्रित रूप में अंतःस्टरण प्रक्रिया द्वारा" शब्दों के पश्चात् "एंजेमेटिक प्रक्रिया या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपखंड (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"अंतर्वस्तु पार वसायुक्त अम्ल, भार के अनुसार दस प्रतिशत से अनधिक";

(ख) "मारगारीन और वसा स्प्रेड" से संबंधित उपविनियम 2.2.5 के खंड 2 के उपखंड (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) पार वसीय अम्ल, भार के अनुसार दस प्रतिशत से अधिक नहीं" ।

(ग) "हाइड्रोजनित वसा तेल" से संबंधित उप विनियम 2.2.6 में,-

(i) खंड (1) में,-

(अ) "किसी भी रूप में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से" शब्दों के पश्चात् "रसायन या एंजेमेटिक अंतःएस्टरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) मद (प) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प. खाद्य प्रयोजनों के लिए आयातित वनस्पति तेल

फ. ताड़ स्टेरिन";

(इ) उपखंड (vii) में, मद (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(ख) पार वसीय अम्ल, भार के अनुसार दस प्रतिशत से अधिक नहीं";

(ii) खंड (2) में उपखंड (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) पार वसीय अम्ल, भार के अनुसार दस प्रतिशत से अधिक नहीं";

के. चन्द्रमौली, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असाधा./187/13]

पाद टिप्पण:-खाद्य सुरक्षा मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 1 अगस्त, 2011 में अधिसूचना फा.सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए ।